संख्या-57/2021/852/22-2-2021-17(1151)/2019

प्रेषक,

करूणेश कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 19 मई, 2021***

विषय:- केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी अशोक दीक्षित पुत्र स्व0 रामनरायन दीक्षित, निवासी जनपद-फिरोजाबाद हाल जनपद-आगरा की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-4324/प्रोबे0-5-दया0 बैठक 11.02.2021, दिनांक 22.03.2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी अशोक दीक्षित पुत्र स्व0 रामनरायन दीक्षित, गोपालपुर, थाना-शामसाबाद, जनपद-फिरोजाबाद हाल पता-उपाध्याय नर्सिंग होम के पास शहीद नगर थाना-सदर, जनपद-आगरा का निवासी है। स्कूल परिसर में दिनांक 04.12.2006 को हमला किए जाने की रिपोर्ट लिखाये जाने के कारण बंदी ने दिनांक 12.10.2007 को बंदी द्वारा 11 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर असलहों से ताबड़तोड़ फायरिंग कर सुमन प्रकाश यादव की हत्या कारित की गयी तथा पुत्र हर्ष को गम्भीर रूप से घायल किया गया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-753/2008 धारा 147, 148, 302/149, 307/149 आई0पी0सी0 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं0-5, फिरोजाबाद के आदेश दिनांक 10.07.2015 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया है। बन्दी द्वारा दिनांक 18.12.2020 तक 13 वर्ष 02 माह 04 दिन की अपरिहार सजा तथा 14 वर्ष 11 माह 27 दिन की सपरिहार सजा काटी गयी है। जिला मजिस्ट्रेट@वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा बंदी द्वारा भविष्य में अपराध करने की सम्भावना से इन्कार नहीं किये जाने, पुन: अपराध करने में संलिप्त होने, शातिर किस्म का अपराधी होने की आख्या अंकित करते हुए बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। दयायाचिका समिति द्वारा बंदी द्वारा कारित अपराध की प्रकृति एवं जिला मजिस्ट्रेट तथा पुलिस अधीक्षक, आगरा द्वारा बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं किये जाने के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी अशोक दीक्षित (बन्दी संख्या-474605) पुत्र स्व0 रामनरायन दीक्षित, निवासी जनपद-फिरोजाबाद हाल जनपद-आगरा की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
करूणेश कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-57/2021/852(1)/22-2-2021 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, जनपद-आगरा।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, बरेली।
3- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

अजय कुमार तिवारी
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in